प्रेस नोट

दिनांक 16.06.2025

मिशन शक्ति अभियान 5.0

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत जनपद के समस्त थानों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा गांवों में चौपाल लगाकर बालिकाओं/महिलाओं की समस्याओं का किया जा रहा निस्तारण-

महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों, संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में किया गया जागरूक-

महिलाएं/बालिकाएं/बेटियां हो स्वावलंबी, उनकी हो सुरक्षा, हो उनका सम्मान, शासन की है महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति अभियान-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र के अन्तर्गत थानों पर गठित एण्टीरोमियो टीम व बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांवो में भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला सम्बन्धित समस्याओं के निस्तारण कराने के सम्बन्ध में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है तथा रैली निकालकर नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन आदि अधिकारो के प्रति महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नहीं आना पडेगा अपितु शक्ति दीदी नियमित अन्तराल पर ग्राम चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवो में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही उनसे संवाद कर उनकी शिकायतों का गुण दोष के आधार पर निराकरण कराया जाएगा।

आज दिनांक 16.06.2025 को जनपद के समस्त थानों की महिला बीट अधिकारीगण (शक्ति दीदी) द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमण कर मनचलों/शोहदों को रेड कार्ड दिया गया तथा महिलाओं और बालिकाओं से फीडबैक फार्म भरवाकर महिलाओं/बालिकाओं को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया तथा बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से गुड टच-बैड टच की जानकारी दी गई। बच्चों को पढ़ने तथा स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया गया तथा बच्चों से स्कूल जाने पर रास्ते में किसी प्रकार की समस्या होने के बारे में पूछा गया थाना फीडबैक फार्म को भरवाया गया।बच्चो को बताया गया कि किसी अनजान व्यक्ति के

बुलाने या बहकावे में न आए न ही कोई खाने पीने की वस्तु ले तथा बच्चों को चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर-1098 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया तथा महिलाओं एवम बालिकाओं/बच्चों के प्रति हो रहे अपराधो जैसे छेड़छाड़/शोषण, बाल अपराध, एसिड अटैक, सोशल मीडिया के माध्यम से उत्पीड़न इत्यादि की रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी किए गए सुरक्षा संबंधी हेल्पलाइन नंबरों- 1090,181,102, 108,1076, 1098,1930 साइबर अपराध के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी।

मीडिया सेल, गोण्डा।